

देश की  
म संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की  
गई कार्रवाई  
के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-226/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत  
फुलमत कुंवर — विक्रेता  
प्रति  
अनिमा कुजूर — क्रेता  
आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका विक्रेता फुलमत कुंवर, पति-स्व० बेनेदिक तिर्की, ग्राम-बड़गड़, पोस्ट-बड़गड़, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता अनिमा कुजूर, पति-बालदेव टोप्पो, ग्राम-गड़िया, पोस्ट-कंजिया, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, भण्डरिया से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, भण्डरिया के पत्रांक 333/दिनांक 24.06.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के जमाबंदी विक्रेता के ससुर हरावण उराँव एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के उराँव (अनुसूचित जनजाति) एवं क्रेता जाति के उराँव (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना भण्डरिया एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त हैं प्रस्तावित भूमि आवेदक विक्रेता के दखल-कब्जे में है।

अतः अंचल अधिकारी, भण्डरिया के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदिका/विक्रेता फुलमत कुंवर, पति-स्व० बेनेदिक तिर्की, ग्राम-बड़गड़, पोस्ट-बड़गड़, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा ने क्रेता अनिमा कुजूर, पति-बालदेव टोप्पो, ग्राम-गड़िया, पोस्ट-कंजिया, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
बड़गड़	197	पुराना-11 नया-136	पुराना-1080 नया-1582	0.05	उ०-लुईस तिर्की, द०-जेम्स तिर्की, पू०-पक्की सड़क, प०-बाँध,
कुल रकबा:-				0.05	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा